नोटिस नीलामी जनपद न्यायालय फतेहपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/ खराब कम्प्यूटर सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक **10.04.2024** को दिन में दोपहर **02.00 बजे से 04.00 बजे** के मध्य वित्तीय समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण की उपस्थिति में जनपद न्यायालय फतेहपुर के परिसर में की जायेगी। जो लोग बोली में भाग लेना चाहे निर्धारित शर्तो की जानकारी हेतु निर्धारित समय के एक दिन पूर्व तक कम्प्यूटर अनुभाग से सम्पर्क कर सकते हैं। निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/ खराब कम्प्यूटर सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों की न्यूनतम मूल्य रू0 12,000/– की दर से अधिकतम बोली बोलना चाहते हो तो वे दिनांक 10.04.2024 तक समय 02.00 बजे तक रू0 3,000/– की धनराशि जमा कर बोली में भाग ले सकते है। बोली बोलने के उपरान्त जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। नीलामी की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि बोलीदार द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। जहाँ जैसे हैं इस शर्त पर निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/ खराब कम्प्यूटर सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी की जायेगी। नीलामी के पूर्व केता किसी भी कार्य दिवस में कम्प्यूटर अनुभाग में सम्पर्क कर उक्त निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/ खराब कम्प्यूटर सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों का निरीक्षण कर सकते है। अधिकतम धनराशि के बोली, कर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर के पास सुरक्षित है।

अध्यक्ष,
वित्तीय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस की प्रति निम्न को अपने अपने नोटिस बोर्ड आम जनता के सूचनार्थ चस्पा हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को इस सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, फतेहपुर।
3. नाजिर सदर विकास भवन, फतेहपुर।
4. नाजिर तहसील, फतेहपुर।
5. जिला सूचनाधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।
7. नोटिस बोर्ड जिला जज न्यायालय।
8. सम्पादक दोआबा वार्ता निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. सम्पादक न्यूजवाणी निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
10. सम्पादक दोआबा दर्शन निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी अमीन, फतेहपुर।
12. नोटिस बोर्ड नजारत चस्पा हेतु।
13. सार्वजनिक स्थलों पर सूचना पत्र चस्पा हेतु।
14. कम्प्यूटर अनूभाग इण्टरनेट पर विज्ञप्ति हेतु, फतेहपुर।

अध्यक्ष, 22/3/2024
वित्तीय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।